संख्या -102/ 2025/ 857/35-4-2025/35-4099/132/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2025

विषय – जनपद बुलन्दशहर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्य की अवशेष अन्तर्गत धनराशि जारी सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में शासनादेश संख्या-95/2025/639/35-4-2025/35-4099/132/2024, दिनांक 26 अगस्त,2025 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित कार्य यथा-प्रकाशपुर से सुल्तानपुर बिलौनी सम्पर्क मार्ग पंचायत भवन बिलौनी तक (सी0सी0 रोड) का नव निर्माण कार्य हेतु रू0 22.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2025 के लेखाशीर्ष से सम्बन्धित प्रस्तर त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है। इस प्रस्तर को निम्नवत पढ़ा जाय।

> ''इस संबंध में होने वाल व्यय रूपये 22,71,000/-(रूपये बाइस लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।''

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-102/2025/857(1)/35-4-2025/35-4099/132/2024 -तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0 प्र0 शासन ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त मेरठ मण्डल ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर ।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बुलन्दशहर ।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बुलन्दशहर ।
14. संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।